दिनांक 20.03.2023
प्रेस विज्ञप्ति 21/2023

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद सहारनपुर/थाना रामपुर मनिहारन

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के लगभग 05 लाख रूपये कीमत के सोने–चाँदी के आभूषण**
- **चोरी के 01 लाख 12 हजार रूपये नगद बरामद**

दिनांक 19.03.2023 को थाना रामपुर मनिहारन पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 02 अभियुक्तों 1–शोबान 2–अरूण कुमार को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के लगभग 05 लाख रूपये कीमत के सोने–चाँदी के आभूषण, चोरी के 01 लाख 12 हजार रूपये नगद बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 09.02.2023 को थाना रामपुर मनिहारन क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना रामपुर मनिहारन पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, आभूषण चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना रामपुर मनिहारन पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शोबान निवासी अम्बेहटापीर थाना नकुड जनपद सहारनपुर।

2–अरूण कुमार निवासी अम्बेहटापीर थाना नकुड जनपद सहारनपुर।

बरामदगी

1– चोरी के लगभग 05 लाख रूपये कीमत के सोने–चाँदी के आभूषण

2–चोरी के 01 लाख 12 हजार रूपये नगद।

जनपद बस्ती/थाना कोतवाली

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 07 लाख 60 हजार रूपये कीमत के चोरी के सोने–चाँदी के भारी मात्रा में आभूषण आदि**
- **नगद रूपये**
- **चोरी के सामान बिक्री कर खरीदा गया टैम्पो बरामद**

दिनांक 19.03.2023 को थाना कोतवाली व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर विभिन्न स्थानो से 03 अभियुक्तों 1–साजिद हुसैन उर्फ सादिक उर्फ गोली 2–शहजाद उर्फ जादू 3–महमूद आलम उर्फ गुड्डू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 07 लाख 60 हजार रूपये कीमत के चोरी के सोने–चाँदी के भारी मात्रा में आभूषण आदि, नगद रूपये, चोरी के सामान बिक्री कर खरीदा गया टैम्पो बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त साजिद हुसैन उर्फ सादिक उर्फ गोली व महमूद आलम उर्फ गुड्डू के विरूद्ध जनपद बस्ती के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 07–07 अभियोग एवं अभियुक्त शहजाद उर्फ जादू के विरूद्ध जनपद बस्ती के विभिन्न थानो में चोरी के 02 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–साजिद हुसैन उर्फ सादिक उर्फ गोली निवासी कंचन टोला गांधीनगर थाना कोतवाली जनपद बस्ती।

2–शहजाद उर्फ जादू निवासी कंचन टोला थाना कोतवाली जनपद बस्ती।

3–महमूद आलम उर्फ गुड्डू निवासी तुरकहिया थाना कोतवाली जनपद बस्ती।

बरामदगी

1–लगभग 07 लाख 60 हजार रूपये कीमत के चोरी के सोने–चाँदी के भारी मात्रा में आभूषण आदि।

2–नगद रूपये।

3–चोरी के सामान बिक्री कर खरीदा गया टैम्पो।

जनपद जालौन/थाना कोतवाली उरई

- **पुलिस कार्यवाही में 05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के सोने–चॉदी के आभूषण**
- **11 हजार 250 रूपये नगद**
- **02 मोबाइल फोन**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 20.03.2023 की रात्रि थाना कोतवाली उरई पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर झांसी कानपुर हाईवे पर करमेर ओबर ब्रिज के पास पुलिस कार्यवाही में अभियुक्त 1–अब्दुल सलाम उर्फ सलाम 2–अभियुक्त अनवार घायल हो गये, जिन्हें अभियुक्त 3–शहजाद 4–इकराम 5–शहजाद पुत्र रियाज सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के सोने–चॉदी के आभूषण, 11 हजार 250 रूपये नगद, 02 मोबाइल फोन, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शहजाद पुत्र कल्लू के विरूद्ध जनपद जालौन, कानपुर देहात के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट, आबकारी एक्ट आदि के 10 अभियोग व अभियुक्त सलाम व अनवार के विरूद्ध जनपद जालौन, उरई के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली उरई पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अब्दुल सलाम उर्फ सलाम निवासी दलेलनगर थाना अजीतमल जनपद औरैया।

2–अनवार निवासी दलेलनगर थाना अजीतमल जनपद औरैया।

3–शहजाद निवासी दलेलनगर थाना अजीतमल जनपद औरैया।

4–इकराम निवासी दलेलनगर थाना अजीतमल जनपद औरैया।

5–शहजाद पुत्र रियाज निवासी मूसानगर थाना मूसानगर जनपद कानपुर देहात।

<u>बरामदगी</u>

1—चोरी के सोने—चॉदी के आभूषण।

2—11 हजार 250 रूपये नगद।

3—02 मोबाइल फोन।

4—02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

<u>जनपद मुजफ्फरनगर/थाना कोतवाली नगर</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 बोलेरो वाहन आदि बरामद**

दिनॉकः 19.03.2023 की रात्रि थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर शामली बाईपास रोड पर पुलिस कार्यवाही में अभियुक्त 1—बबलू प्रवेज 2—खालिद घायल हो गये, जिन्हें अभियुक्त 3—जावेद सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 बोलेरो वाहन आदि बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त बबलू प्रवेज हिस्ट्रीशीटर अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, चोरी, सीएस एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, गुण्डा एक्ट आदि के 28 अभियोग, अभियुक्त खालिद के विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 16 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—बबलू प्रवेज निवासी गुलर वाली गली खालापार थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर।

2—खालिद निवासी गुलर वाली गली खालापार थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर।

3—जावेद निवासी गुलर वाली गली खालापार थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1—03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

2—01 बोलेरो वाहन आदि।

जनपद मीरजापुर/थाना कोतवाली देहात

- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 11 मोटर साइकिल**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस**
- **01 मास्टर चाबी, 05 मोबाइल फोन बरामद**

दिनांक 19.03.2023 को थाना कोतवाली देहात व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 05 अभियुक्तों 1—उधम सिंह उर्फ डब्बू 2—नैतिक 3—सौरभ 4—दीपक 5—अमित प्रकाश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 11 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस, 01 मास्टर चाबी, 05 मोबाइल फोन बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त उधम सिंह उर्फ डब्बू के विरूद्ध जनपद मीरजापुर के विभिन्न थानो में चोरी, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट के 04 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—उधम सिंह उर्फ डब्बू निवासी दामोदरपुर थाना कछवां जनपद मीरजापुर।

2—नैतिक निवासी इटकौली थाना गोसाईगंज जनपद सुल्तानपुर।

3—सौरभ निवासी रखौना थाना मिर्जामुराद जनपद वाराणसी।

4—दीपक निवासी रामपुर बसौरा बाजार थाना मोतीगरपुर जनपद सुल्तानपुर।

5—अमित प्रकाश निवासी बहाउद्दीनपुर थाना गोसाईगंज जनपद सुल्तानपुर।

बरामदगी

1—चोरी की 11 मोटर साइकिल।

2—02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

3—01 मास्टर चाबी, 05 मोबाइल फोन।

जनपद सुल्तानपुर/थाना मोतिगरपुर

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **230 ग्राम अवैध हेरोईन**
- **1160/—रूपये नगद**
- **01 बलेनो कार**
- **02 अवैध तमंचा मय खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 19.03.2023 की रात्रि थाना मोतिगरपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर दियरा घाट गोमती नदी पुल के पास चेकिंग के दौरान पुलिस कार्यवाही में अभियुक्त 1—राहुल 2—रमन घायल हो गये, जिन्हें गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से230 ग्राम अवैध हेरोईन, 1160/—रूपये नगद, 01 बलेनो कार, 02 अवैध तमंचा मय खोखा कारतूस बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त हिस्ट्रीशीटर अपराधी है, जिसमें अभियुक्त राहुल के विरूद्ध जनपद सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर के विभिन्न थानों पर हत्या, हत्या का प्रयास, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 14 अभियोग व अभियुक्त रमन के विरूद्ध जनपद सुल्तानपुर के विभिन्न थानों पर डकैती, हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के लगभग एक दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना मोतिगरपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राहुल निवासी ग्राम जलालपुर थाना कादीपुर जनपद सुल्तानपुर।

2–रमन निवासी बहाउद्दीनपुर थाना गोसाईगंज जनपद सुल्तानपुर।

बरामदगी

1–230 ग्राम अवैध हेरोईन।

2–1160/–रूपये नगद।

3–01 बलेनो कार।

4–02 अवैध तमंचा मय खोखा कारतूस।

- **जनपद बिजनौर/थाना मण्डावर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बिजनौर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद बिजनौर द्वारा थाना मण्डावर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 364ए भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त कामिल को आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद एटा/थाना मिरहची (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 80 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय पॉक्सो एक्ट जनपद एटा द्वारा थाना मिरहची पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/363/366 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त तीक्ष्णपाल उर्फ मंगल को 12 वर्ष के कठोर कारावास व 80 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बाराबंकी/थाना कोतवाली नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट संख्या–45 जनपद बाराबंकी द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त उबैद अफजल को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद कौशाम्बी/थाना पूरामुफ्ती (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के साधारण कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद कौशाम्बी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या–1 जनपद कौशाम्बी द्वारा थाना पूरामुफ्ती पर पंजीकृत अभियोग में धारा 307 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त रोशन लाल को 10 वर्ष के साधारण कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———